भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग ।।। खंड 4 में प्रकाशनार्थ

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2019

(2019 का 1)

**संख्या 116–6/2017– एनएसएल–।। (खण्ड।।)** —— भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (ख) के उप–खंड (i), (iii) तथा (v) के साथ पठित धारा 36 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, एतद्द्वारा दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 9) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:–

1. दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 9) के विनियम 1 के उप–विनियम (2) को निम्नलिखित उप–विनियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(2) ये विनियम 30 सितम्बर, 2019 से लागू होंगे।"

(एस. के. गुप्ता)
सचिव

एस. के. गुप्ता/S. K. GUPTA
सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
महानगर दूरसंचार भवन/M.D.S. Bhawan
नई दिल्ली-110002/New Delhi-110002

**टिप्पणी** : व्याख्यात्मक ज्ञापन इस अधिसूचना के उद्देश्यों तथा कारणों को स्पष्ट करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा प्रधान विनियम, दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) के संशोधन विनियम, दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 9) को दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 को जारी किया गया।

2. दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाताओं की वर्तमान तैयारी पर विचार करते हुए प्राधिकरण ने इन विनियमों के कार्यान्वयन की तिथि 13 जून, 2019 से बढ़ाकर 30 सितम्बर, 2019 कर दी है।

3. अतएव, दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 9) के विनियम 1 के उप–विनियम (2) को संशोधित कर दिया है।

एस. के. गुप्ता/S. K. GUPTA
सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
महानगर दूरसंचार भवन/M.D.S. Bhawan
नई दिल्ली-110002/New Delhi-110002